भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 353

19 नवंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई का ब्यौरा

353. डॉ॰ सुजय विखे पाटीलः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का ब्यौरा क्या है और कृषि उपज के बीमा के लिए बीमाकर्ता कम्पनी और अनुमोदन की प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमएफबीवाई के आरम्भ से आज की तिथि तक संग्रहीत किये गए प्रीमियम का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दी गई बीमा राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और तिथि-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीमाकर्ताओं ने महाराष्ट्र में किसानों से एकत्र किया गया प्रीमियम वापस किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): फसल बुवाई से लेकर फसलोपरांत कटाई तक फसलों के लिए सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों पर व्यापक जोखिम कवर को सुनिश्चित करने और किए गए दावों पर पर्याप्त दावा राशि एवं दावों के समय पर भुगतान के लिए सरल एवं किफायती फसल बीमा स्कीम प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने खरीफ 2016 से एक सरल, किफायती और उपज आधारित स्कीम नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की है। पीएमएफबीवाई की महत्वपूर्ण विशेषताएं अनुबंध-1 पर दी गई हैं।

वर्तमान में कुल 18 कंपनियों जिसमें सभी 05 सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और 13 निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं, को देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए पैनलबद्ध किया गया है। पैनलबद्ध की गई कंपनियों के नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं:

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां	
1.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
2.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां	
6.	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7.	भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9.	फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
10.	एचडीएफसी-इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11.	आईसीआईसीआई- लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12.	इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
13.	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
14.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
15.	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
16.	टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
17.	यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
18.	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

योजना के प्रावधानों के अनुसार किसानों को राज्य सरकार द्वारा यथा-निर्धारित बीमित राशि से गुणा करके निश्चित थ्रेसहोल्ड उपज के फसल नुकसान की सीमा/प्रतिशत तक बीमा कंपनी द्वारा सुरक्षित किया जाता है। व्यापक आपदा के लिए दावा राशि की गणना संबंधित राज्य सरकार द्वारा संचालित फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या से प्राप्त उपज डेटा के आधार पर की जाती है। निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए उपज डाटा के आधार पर संबंधित बीमा कंपनी द्वारा प्रति हेक्ट. दावों का निपटान किया जाता है।

थ्रेसहोल्ड उपज (टीवाई) - वास्तविक उपज (एवाई)

---------- X बीमित राशि

थ्रेसहोल्ड उपज (टीवाई)

जहां किसी अधिसूचित बीमा यूनिट में एक फसल की थ्रेसहोल्ड उपज उस फसल के लागू स्वीकार्य सुरक्षित स्तर द्वारा गुणित पिछले सात वर्षों में से सर्वोत्तम पांच वर्षों की औसत उपज है।

तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और दावानल के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान तथा फसल कटाई के बाद के नुकसान की गणना नुकसान की मात्रा का सर्वे करने के लिए राज्य सरकार और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी बीमित फार्म आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निवारक बुवाई/विफल अंकुरण के लिए दावों का भुगतान तथा मध्य मौसम प्रतिकूलता की स्थिति में तदर्थ दावों का भुगतान करने का भी प्रावधान है।

(ख) और (ग) वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) योजना के प्रावधानों के अनुसार बैंक अनुबंधित कट-ऑफ तारीख के भीतर बीमा कंपनियों को प्रीमियम भेज देती हैं और कट-ऑफ तारीख के बाद 15 दिन के भीतर व्यक्तिगत किसानवार ब्यौरा प्रस्तुत करती हैं। प्रीमियम के मिलने और वित्तीय संस्थाओं द्वारा भेजे गए डाटा के समय यदि प्रीमियम और व्यक्तिगत किसान के डेटा के बीच में कोई अंतर होता है तो वह बढ़ा हुआ प्रीमियम बीमा कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थानों को वापस कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी किसानों विशेषकर गैर-ऋणी किसानों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों और अपेक्षित दस्तावेजों पर कार्रवाई करती है। यदि आवेदन या दस्तावेज गलत/जाली पाया जाता है तो वे आवेदन को निरस्त कर देते हैं और ऐसे मामले में प्रीमियम को वापस कर देते हैं। महाराष्ट्र सहित प्रत्येक राज्य में हर मौसम में इस तरह की घटनाएं होती हैं।

(ड.) सरकार ने वित्तीय संस्थानों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर प्रीमियम और किसानों के डेटा को सही रूप में भेजने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किया है। ताकि किसी प्रकार के अंतर होने की घटना को कम किया जा सके।

पीएमएफबीवाई की मुख्य विशेषताएं

i. गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण हुए फसल नुकसान के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना जिससे किसानों की आय को स्थिर बनाया जा सके और नवाचारी प्रणालियों को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

ii. फसल चक्र-बुवाई पूर्व से लेकर कटाई पश्चात तक की हानियों के जोखिम कवरेज को बढ़ाना।

iii. बृहत् हानि के दावे के निपटान के लिए क्षेत्र दृष्टिकोण। अधिसूचित बीमा इकाई को प्रमुख फसलों के मामले में घटाकर ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर कर दिया गया है।

iv. सभी खरीफ फसलों, रबी फसलों व वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा अदा किए जाने वाला क्रमश: 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत व 5 प्रतिशत का एकसमान अधिकतम प्रीमियम।

v. किसानों द्वारा देय प्रीमियम व बीमा शुल्क की दर का अंतर केंद्र एवं राज्य द्वारा सब्सिडी के रूप में और समान रूप से शेयर किया जाएगा।

vi. ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए एकसमान सीजनैलिटी डीसिप्लीन।

vii. बिना कोई कटौती किए पूर्ण बीमित राशि के लिए किसानों को दावा प्राप्त करने के लिए प्रीमियम की अधिकतम सीमा तथा बीमित राशि में कटौती के प्रावधान को समाप्त करना।

viii. प्रत्येक खेत स्तर का आकलन तथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, आप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग की स्थानीकृत आपदाओं और साइक्लोन, साइक्लोनिक वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसल कटाई नुकसान के लिए दावों का निपटान

ix. देशभर में खेत में 14 दिनों की अवधि तक सुखाने के लिए रखी गई फसलों के लिए चक्रवात व बेमौसम वर्षा से सुरक्षा के लिए फसलोपरांत हानियों के लिए प्रत्येक खेत के आकलन का प्रावधान।

x. निवार्य बुवाई के लिए बीमित राशि की 25 प्रतिशत राशि तक दावों का प्रावधान।

xi. फसल नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक होने पर फसल मौसम के बीच आने वाली कठिनाईयों के लिए बीमित राशि की 25 प्रतिशत ''खाते में भुगतान''। फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) आंकड़ों के आधार पर शेष दावे।

xii. दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए फसल नुकसान के शीघ्र आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग टैक्नोलॉजी, स्मार्टफोन व ड्रोन का उपयोग।

xiii. बेहतर प्रशासन, समन्वय, पारदर्शिता व सूचना के प्रचार के लिए प्रत्येक किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावे की राशि क्रेडिट करने सहित सेवाओं की डिलीवरी के लिए फसल बीमा पोर्टल तैयार किया गया है।

xiv. सभी स्टेकहोल्डरों में योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इस उद्देश्य के लिए संसाधनों के उपयुक्त आवंटन पर ध्यान देना।

<u>अनुबंध-II</u>

पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत एकत्र किए गए प्रीमियम और दावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

रू. करोड़ में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	सकल प्रीमियम	दावे	सकल प्रीमियम	दावे	सकल प्रीमियम	दावे
	2016-17		2017-18		2018-19*	
अंडमान और निकोबार द्वीप	0.02	0.15	0.03	0.00	0.24	0.00
आंध्र प्रदेश	845.45	944.43	1301.14	724.48	1328.73	1072.69
असम	8.65	5.36	11.89	1.11	11.24	0.09
बिहार	1416.25	347.89	1027.66	396.17	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	325.77	160.07	361.87	1388.01	889.16	1058.41
गोवा	0.07	0.03	0.05	0.00	0.03	0.09
गुजरात	2274.68	1267.20	3261.45	1076.14	3141.42	2591.51
हरियाणा	364.39	296.22	453.17	899.37	840.68	923.06
हिमाचल प्रदेश	71.68	45.18	77.51	64.71	75.61	10.19
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	40.97	9.80	79.06	12.13
झारखंड	271.81	31.17	211.93	45.96	395.55	73.04
कर्नाटक	1356.29	2042.88	1834.10	859.20	1824.28	2306.26
केरल	33.15	44.55	25.87	10.94	36.30	12.35
मध्य प्रदेश	3778.64	2033.93	4946.73	5822.00	5364.07	122.29
महाराष्ट्र	4596.45	2316.43	4298.53	3286.60	6125.34	5466.90
मणिपुर	3.59	1.96	1.94	0.67	0.21	0.00
मेघालय	0.05	0.03	1.42	0.02	0.10	0.09
ओडिशा	539.05	432.16	820.32	1779.05	1077.85	1020.85
पुडुचेरी	2.88	7.57	0.00	0.00	3.11	0.45
राजस्थान	2543.83	1946.85	2707.13	2174.61	3435.41	2077.07
सिक्किम	0.01	0.10	0.06	0.04	0.02	0.00
तमिलनाडु	1191.07	3534.08	1297.14	1897.90	1362.12	1514.07
तेलंगाना	291.86	178.76	678.78	630.89	524.30	27.65
त्रिपुरा	0.39	0.71	0.74	1.00	0.03	0.00
उत्तर प्रदेश	1207.72	575.04	1390.61	380.46	1504.43	447.04
उत्तराखंड	41.44	27.47	67.84	39.44	75.12	47.78
पश्चिम बंगाल	726.76	421.71	642.44	254.32	708.08	136.81
कुल योग	21891.93	16661.92	25461.34	21742.90	28802.51	18920.84

* 13.11.2019 की उपलब्धता के अनुसार दावों का डेटा अनंतिम है।

****